

वादी

प्रतिवादीगण

शयोराम

बनाम

राजस्थान सरकार

किस्म प्रकरण : वाद पत्र

संख्या -65 /2015

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
6.10.2024	<p>वकील वादीगण हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण काफी पुराना है। प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.10.2019 को निर्णित होने के उपरान्त प्रभावित पक्षकार द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के यहां पर अपील किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को पर्याप्त अवसर दिया जाकर विधिनुसार निर्णय पारित किये जाने के आदेश के साथ पुनः रिमाण्ड हुआ है। दि. 16.01.2024 को प्रकरण न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज किया जाकर वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 22.05.2024 को प्रतिवादीगण की तलबी कराने हेतु वकील वादीगण को हिदायत दी गई। परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है।</p> <p>अतः वादी का वाद अधीन धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 वकील वादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी कराने में असमर्थ रहने तथा न्यायालय आदेश की पालना नहीं किये जाने से सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 05 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपस्थित अधिकारी  
नावां (डीडवाना-कुचामन)